

पटसन मिलों का बन्द होना

4103. श्री निर्हाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बन्द पड़ी पटसन मिलों की कुल संख्या कितनी है और इन मिलों को फिर से चालू करने और लाभकारी मूल्यों पर पटसन की वसूली करने हेतु गत एक वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गये :

(ख) भारतीय पटसन निगम द्वारा जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए कच्चे जूट के क्या मूल्य निश्चित किये गये; और कितनी मात्रा में पटसन की खरीद की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि पटसन उत्पादकों को अपना पटसन अत्यन्त कम मूल्यों पर बेचना पड़ा था; और

(घ) इन मिलों को फिर से चालू करने और इस अवधि के दौरान पटसन की खरीद करने की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने पटसन मजदूरों और केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ कितनी बार बातचीत की थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी. पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रत्येक जूट मौसम (जुलाई से जून) के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कच्चे जूट की खरीद कीमतें निर्धारित की जाती हैं। जूट वर्ष 1982-83 के लिए श्वेत जूट (आधार : डब्ल्यू 5 एक्स असम) को न्यूनतम सांविधिक कीमतें 175 रु० प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की गई हैं। श्वेत तथा टोंसा। देसी जूट के बीच कीमत अन्तर 10.50 रु० प्रति क्विंटल

से बढ़ा कर 12.50 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजार में नई फसल केवल जुलाई, 1982 से आनी शुरू होती है। भारतीय जूट निगम तथा सहकारी समितियों द्वारा इस मौसम में सितम्बर, 1982 तक कच्ची जूट की 180 कि० ग्रा० वाली कुल 3,34,973 गांठें खरीदी गई थी ।

(ग) सरकार को अभी तक आपात बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(घ) चूंकि श्रमिकों का मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और इस प्रकार श्रम विभाग के विचार-विमर्श राज्य के द्वारा किये जाते हैं ।

विवरण

19 अक्टूबर, 1982 को 10 मिलें बन्द थीं। उनमें तालाबन्दी थी। प्राइवेट मिलें हैं। इन मिलों को फिर से खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये उपायों में जूट माल बाजार में मांग में तेजी लाने और सप्लाई मांग असन्तुलन को सही करने सम्बन्धी उपाय शामिल है ताकि तालाबन्दी वाली मिलों को फिर से चालू करने के लिए जूट उद्योग के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण सृजित किया जा सके। चूंकि श्रमिक सम्बन्धी मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है तथा इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं है। 1982-83 के लिए भारतीय जूट निगम की कार्यसंचालन योजना ने इसके लिए बड़ी हुई भूमिका की व्यवस्था है। स्वीकृत योजना के अनुसार निगम को मात्रा सम्बन्धी लक्ष्य की किसी भी सीमा से बाहर, कीमत समर्थन कार्यों के अधीन सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमतों पर उत्पादकों द्वारा पेश की गई

कच्चे जूट की किसी भी मात्रा को खरीदना होता है। सरकार ने भारतीय जूट निगम के बाजार सम्बन्धी क्षेत्र में विस्तार करने का निर्णय लिया है और यथानुसार सात अतिरिक्त विभागीय खरीद केन्द्र तथा 14 उप-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये सभी उपाय ग्राम "हाट" तथा ग्राम में चुनिन्दा संग्रहण केन्द्रों पर उत्पादकों के सीधे जूट खरीदने सम्बन्धी भाग में वृद्धि करने की दृष्टि से खरीद कार्यों में वृद्धि करने के लिए किये गये हैं।

Proposal to regularise ad-hoc employees working in D. T. D. C.

4104. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the number of ad-hoc employees working in Delhi Tourism Development Corporation;

(b) since when they are working on ad-hoc basis;

(c) whether there is any proposal to regularise such ad-hoc employees as have been working there regularly for the last three years and if so, the particulars thereof; and

(d) in case the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) 372

(b) A major portion of the DTDC employees was recruited for running ad-hoc activities like IMFL trade, allocated to this Corporation in the year 1979. As such, the appointments under this scheme were made temporary and ad-hoc since then and there after on need basis from time to time due to enhancement of the activities.

In addition some ad-hoc appointments were also made in Tourism and Transport divisions for temporary activities like Asiad '82' and seasonal

tourist trade and also against regular activities of the Corporation pending regular selection as per recruitment procedure.

(c) So long as the IMFL business is not made permanent and remains with Delhi Tourism Development Corporation temporarily on year to year basis, as per excise policy of Delhi Admn. (presently upto 31-3-1983), regular staff under this scheme cannot be appointed. However, the employees other than above, required for the regular activities of the Corporation, will be recruited/regular activities of the Corporation, will be recruited/regularised as per laid down recruitment procedure. Necessary action to this effect is already in hand.

(d) As explained above.

Production of Aeroplanes for Agricultural purposes

4105. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to produce aeroplanes for agricultural purposes such as for spraying insecticides, fertilizers, etc;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if not, would it be advisable to consider aeroplanes for this purpose?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no requirement for production of aeroplanes for this purpose at present.

Detention under cofeposa by Palam customs

4106. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many persons have been detained under COFEPOSA or other